

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
बीज भवन पूसा परिसर, नई दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालय:
प्रक्षेत्र कार्यालय :

कन्द/बीजों के अनुबंध पर उत्पादन के लिए करारनामा

एनएससी के लिए बीज/मदर बल्ब/कंद मूल के उत्पादन के लिए आज यह अनुबंध दिनांक
..... को ग्राम तालुका जिला
.....राज्य.....।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय.
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, प्रक्षेत्र कार्यालय. (केन्द्र मुहर)

एवं

श्री/श्रीमती
आधार कार्ड संख्या
उम्रवर्ष व्यवसाय

गाँव डाकघर
तालुका जिला
राज्य पिनकोड
दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) मोबाईल संख्या

बैंक खाता संख्या (आधार से लिंक)
बैंक शाखा का नाम

कोड संख्या (यह कोड संख्या बीज की लॉट संख्या के रूप में माना जाएगा)
(इसके बाद इसे “उत्पादक” कहा जाएगा।)

के बीच

बीज उत्पादक, बीज/बीज बल्बस/बीज ट्यूबर्स/ बीज कंद के उत्पादन के लिए तैयार है,
जिसके अंतर्गत फसल श्रेणी (आधार(एफ-I/एफ-II)/ प्रमाणित (सी-I/
सी-II)/सत्य) की फसलप्रजाति के कच्चे बीज (raw
seed) का उत्पादन करेगा, इसके बाद इसे “उत्पादन कार्यक्रम” कहा जाएगा।

सर्वे संख्या/खंड संख्यामें,
ग्राम पी.ओ./डाकघर तालुका
.....जिलाराज्य पिन
..... इसके पश्चात इसे "उत्पादन क्षेत्र" कहा जाएगा।

यह भूमि (स्वयं/पट्टे) की है। इस पट्टे की भूमि का संबंध श्री/श्रीमती से है, जिसका आधार कार्ड संख्या है।

बीज उत्पादन हेतु उत्पादन क्षेत्र एवं स्थान (संलग्न प्रपत्र) निश्चित होगा और इसे उत्पादक द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जब तक कि एनएससी के द्वारा स्थान परिवर्तन के लिए लिखित में अनुमति एवं मंजूरी नहीं दी जाती। बुवाई/रोपाई जमीन के क्षेत्र पर की जाएगी और एनएससी को दी जाने वाला कच्चे बीज की न्यूनतम मात्रा क्विंटल (+—5%) बीज गुणनक अनुपात (एसएमआर आधार पर) होगी। और इसका उपयोग उत्पादन कार्यक्रम के लिए ही किया जाएगा। बीज भूखंड के निरीक्षण के बाद, राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा घोषित अनुमानित उपज के लिए अधिकतम मात्रा बीज गुणनक अनुपात (एसएमआर) से अधिक नहीं होगी।

पारस्परिक लाभ एवं हित के लिए इस अनुबंध उत्पादन की स्वीकार्य शर्तें, निम्न प्रकार से हैं:—

1. उत्पादक, एनएससी को प्रजनक/आधार/प्रमाणित बीज-1 की लागत का भुगतान करेगा। इस उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादन के लिए आवश्यक बीज/बीज बल्ब/बीज ट्यूब्स के उत्पादन हेतु उत्पादक द्वारा मांग पत्र/डीडी के माध्यम से अथवा नगदी के रूप में अग्रिम भुगतान करना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसकी लागत वापसी योग्य नहीं है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लगाए जाने वाले प्रभार/शुल्क जैसे पंजीकरण, खेत निरीक्षण, बीज परीक्षण एवं प्रमाणन प्रभार/शुल्क जैसा भी लागू हो, का भुगतान करार के समय उत्पादक द्वारा जमा करना होगा तथा प्रसंस्करण शुल्क के अलावा प्रत्येक फसल ऋतु से पूर्व उत्पादक के द्वारा भुगतान किया जाएगा। ये प्रभार/शुल्क वापसी योग्य नहीं हैं।
2. उत्पादक, किसी भी कारण से उत्पाद को किसी अन्य को बिक्री अथवा स्थानांतरण नहीं करेगा। एनएससी ऐसे बीज सामग्री की किसी भी गुणवत्ता शिकायत के लिए जिम्मेवार नहीं होगी, यदि उत्पादक ऐसे बीज को किसी अन्य को देता है अथवा अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है।
3. उत्पादक को इस बात का वचन देना होगा कि उक्त भूमि पर, उस मौसम में कोई अन्य फसल/किस्म का उत्पादन नहीं किया जाएगा, जिस भूमि/भूखंड पर एनएससी के उत्पादन कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। यद्यपि, ऐसा पाया जाता है तब वह उत्पादक एनएससी/राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था/सरकारी पर्वतन प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
4. उत्पादक, बीज उत्पादन कार्यक्रम को किसी अन्य को हस्तांतरण अथवा अन्य किसी को उप पट्टे पर/किराये पर नहीं देगा।
5. उत्पादक, उत्पादन कार्यक्रम करने के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन कार्यक्रम के सभी तकनीकी आवश्यकताओं तथा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक 2013 में निर्धारित बीज उत्पादन के मानकों अथवा समय-समय पर यथासंशोधित (जब तक अनुलग्नक में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, यदि कोई) और अथवा एनएससी द्वारा

लिखित में सूचित करने पर दायित्व को स्वीकार करेगा, ऐसा न करने पर, फसल को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जायेगा।

6. उत्पादक, फसल को एकल फसल के रूप में उगाएगा न कि मिश्रित फसल/ अंतर फसल, साथी फसल अथवा पेड़ी फसल के रूप में जैसा कि इस करार में इंगित किया गया है।
7. बीज उत्पादन के लिए बीज/ब्लब्स/ट्यूब्स/रोपण सामग्री का स्रोत, प्रजनक/आधार/प्रमाणित, सत्य बीज लॉट संख्या जोकि मैसर्स से कैश भीमों/बिल संख्या दिनांक टैग संख्या प्रमाणपत्र संख्या के द्वारा खरीदा गया है के स्रोत से है और इसे खेत पर प्रमाणीकरण/सत्यपूर्ण उत्पादन के अंतर्गत हैक्टेयर क्षेत्र में वर्ष के दौरान उत्पादित किया गया है।
8. कच्चे बीज उत्पादन के लिए क्षेत्र का मानक (सामान्य एवं विशिष्ट) जैसे कि अलगाव/पृथक्कीकरण की दूरी/रोगिंग इत्यादि जैसे कि बीज प्रमाणीकरण ऐजेंसी/एनएससी अथवा प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उत्पादक को ध्यान रखना होगा। उक्त के अभाव में बीज प्रमाणीकरण संस्था/ एनएससी को खेत/भूखंड निरस्त करने का पूरा अधिकार है और इस तरह के मामलों में उत्पादक स्वयं वित्तीय हानि के लिए उत्तरदायी होगा और एनएससी किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
9. एनएससी और राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि को किसी भी दिन/समय पर उत्पादन कार्यक्रम और उत्पादन क्षेत्र का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार है।
10. दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि/क्षति के लिए केवल उत्पादक ही उत्तरदायी होगा। एनएससी, खेत से गोदाम या एनएससी परिसर में उत्पाद के लाने ले-जाने के दौरान किसी प्रकार के नुकसान के लिए, उत्तरदायी नहीं होगी और न ही किसी भी क्षति की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगी चाहे वो किसी भी आकस्मिक या प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो।
11. अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित फसल की स्थिति के आधार पर मानकों के अनुरूप पूरे उत्पादित बीज, उत्पादक द्वारा एनएससी को सौंपा जायेगा। वह एनएससी के द्वारा खरीद किए जाने वाले योग्य उत्पाद को न तो बेचेगा और न ही किसी को हस्तांतरित करेगा, जब तक एनएससी के द्वारा लिखित में ऐसा करने की अनुमति न दी जाती है।
12. उत्पादक द्वारा, अच्छी तरह से साफ, छटाई करके, ग्रेडिंग करके स्वयं के खर्च पर अपनी बोरियों में पैकिंग करके एनएससी परिसर पर जैसा कि एनएससी का स्थान तालुका जिला पर सुपुर्दगी (डिलीवरी) करेगा। एनएससी केवल विनिर्देशों के तहत ही बीज/बल्ब्स/ बीज ट्यूब्स/ की खरीद करेगा।
13. एनएससी को खरीद/भंडारण के लिए उत्पादक अपने स्वयं की पैकिंग में कच्चे बीज सौंपने से पूर्व नीचे लिखे मानकों के अनुसार, ग्रेडिंग, छटाई की व्यवस्था करेगा।

बल्बस के विनिर्देश (विशेषताएं) एनएससी द्वारा खरीद के लिए)

क्र. सं.	प्याज	लहसुन	आलू	अन्य फसल बीज
1	आकार 4.5 से.मी – 6.0 से.मी. व्यास	आकार 3.5 से.मी – 6.0 से.मी. और अधिक	आकार 3.0 से.मी – 5.0 से.मी. व्यास	
2	समान आकार एवं बल्बस का रंग प्रजाति के लक्षण के अनुसार	समान आकार और बल्ब का रंग एवं क्लोव आकार प्रजाति के लक्षण के अनुसार	समान आकार एवं रंग प्रजाति के लक्षण के अनुसार	भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक-2013 के अनुसार। यह बारिश से प्रभावित नहीं होने चाहिए, अच्छी चमक वाले, तथा रोग एवं कीट क्षति से मुक्त होना चाहिए। बीज की पूर्व सफाई /छटॉई (pre cleaned graded) होनी चाहिए।
3	पतली गर्दन वाले, गले बिना उभरे हुए (अनबाल्टेट) बल्बस	पूर्ण रूप से परिपक्व, बिना उभरे हुए (अनबाल्टेट) बल्बस	पूरी तरह पके हुए एवं स्वस्थ कंद (ट्यूबर्स)	
4	सख्त परत, जुड़वा एवं दो मुंह वाले नहीं हो, कीट एवं रोग से मुक्त हो	सख्त परत, अविभाजित, कीट क्षति एवं रोग से मुक्त हो	कीट क्षति एवं रोग से मुक्त हो	
5	पूर्ण रूप से ठीक सूख (पके) हुए, स्वस्थ बल्बस	पूर्ण रूप से ठीक सूख (पके) हुए, स्वस्थ बल्बस	—	

14. यदि उत्पादक, उत्पाद को कम मात्रा में उपलब्ध कराता है या कच्चे बीज की कोई भी मात्रा उपलब्ध नहीं कराता है या (ऊपरी) उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार नहीं सौंपता है तब उसे अगले दो वर्ष तक उत्पादन कार्यक्रम आबंटन नहीं किया जाएगा साथ ही दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके अलावा 2 वर्ष के पश्चात एनएससी को रु. 1000/- प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना भर देना होगा उसके बाद ही बीज उत्पादन कार्यक्रम के आबंटन के लिए पात्र हो सकता है।

15. उत्पादक घोषणा करता है और एनएससी को अधिकृत करता है कि यदि उत्पादक की मृत्यु के मामले या उसके देय राशि को उत्पादक द्वारा नामित व्यक्ति को भुगतान किया जाए, जिसका नाम व पता निम्न प्रकार से है:-

नामिती का नामउम्र
 आधार संख्यापुत्र/पुत्री/पत्नी
 पता
 गाँव डाकघर
 तहसील जिला
 राज्य पिन कोड
 बैंक खाता संख्या (आधार से लिंक)

16. निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार, कच्चे बीज की खरीद केवल एन.एस.सी. के द्वारा ही स्वीकार्य गुणवत्ता मात्रा के लिए सहमत दरों पर ही कच्चे बीज को खरीद (उपार्जित) करना होगा (इसके पश्चात इसे खरीद दर कहा जाएगा)। एन.एस.सी. द्वारा अस्वीकृत बीज, बल्ब/ट्यूबर्स को उत्पादक स्वयं अपने खर्चों पर बेचेगा। एन.एस.सी., छोटे या बड़े आकार के बीज बल्ब/युगल/जुड़वा/क्षतिग्रस्त, बोल्टेड कुचले, बदरंग, विभाजित बीज, बल्व/कन्द इत्यादि जोकि किसी भी परिस्थिति में लम्बे समय तक भण्डारण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, को एन.एस.सी. नहीं खरीदेगी ।
17. खरीद नीति/उत्पादक के लिए बीज दर, संलग्नक के अनुसार तय होंगी, जिसे प्रक्षेत्र कार्यालय एवं उत्पादक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिसमें एन.एस.सी., मुख्यालय द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर एवं नीति का विचलन नहीं होगा । यदि एन.एस.सी., मुख्यालय द्वारा नियत एवं अनुमोदित नीति एवं दरों पर विचलन पाया गया, तब प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं प्रक्षेत्र कार्यालय ही इसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे और इस तरह की अपराधिक कार्यवाही के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे । " हालांकी, विपणन/बाजार को देखते हुए, जब कभी क्षेत्रीय प्रबंधक, एन.एस.सी. की मानक नीति की तुलना में कम खरीद मूल्य के लिए सिफारिश का प्रस्ताव करता है, तो क्षेत्रीय प्रबंधक ऐसे प्रस्ताव दे सकता है और इस प्रकार का प्रस्ताव उत्पादकों, किसानों के लिए बाध्यकारी होगा"। ऐसी स्थिति में, खरीद मूल्य में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं होगी यहां तक कि बाद में भी इस पर विचार नहीं किया जाएगा ।
18. उत्पादकों को दिया जाने वाला खरीद मूल्य केवल अच्छे एवं एसटीएल/क्यूसीएल बीज मानकों के अनुरूप बीजों के लिए मान्य होगा ।
19. जहां कहीं भी, निगम "अच्छे और एसटीएल/क्यूसीएल उत्तीर्ण बीज" के बजाए कच्चे बीज के आधार पर खरीद दर देने का निर्णय करता है तो इस प्रकार के निर्णय से उत्पादक को अग्रिम में ही लिखित में सूचित किया जाएगा और केवल उसी दर को ही वैध माना जाएगा ।
- 19ए. जहां कहीं फसलों के लिए, एपीएमसी खरीद दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय की मूल्य समिति द्वारा उपार्जन/खरीद दर तय की जाएगी । मूल्य समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
 1. क्षेत्रीय प्रबंधक
 2. सहायक लेखा अधिकारी (सलेअ)/लेखा प्रभारी
 3. प्रबंधक (उत्पादन)
 4. प्रबंधक (विपणन)
 5. प्रक्षेत्र प्रबंधक (प्रप्र)/प्रक्षेत्र कार्यालय का प्रभारी

समिति, बीज उत्पादन क्षेत्र से संबंधित मंडी, बाजार, किसानों, व्यापारियों, प्रोसेसर्स इत्यादि जगहों का दौरा/निरीक्षण करेगी और खरीद दर का निर्णय करेगी, जिसे कार्यालयी प्रक्रिया के अनुसार एन.एस.सी. मुख्यालय से अनुमोदित करवाना होगा ।

20. एन.एस.सी. एवं उत्पादक के बीच खरीद दर की मौखिक सूचना वैध एवं कानूनी मान्य नहीं होगी और ऐसी सूचना को एन.एस.सी. के द्वारा सिरे से अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
21. गैर-उठाव/प्रावधान : सफाई एवं ग्रेडिंग के पश्चात तथा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किए गए बीज लॉट, बचे हुए शेष, कचरा, गैर-बीज, छोटे आकार के बीज, कचरा इत्यादि को उत्पादक द्वारा सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर संसाधन संयंत्र से अपने खर्च पर उठाना होगा, ऐसा न करने पर निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात अस्वीकार की गई सामग्री पर 50 पैसे प्रतिदिन/क्विंटल की दर से किराया वसूल किया जाएगा । एन.एस.सी. ऐसे शेष उत्पाद को अपने तरीके से निपटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस तरह के क्रेडिट की शेष राशि, यदि कोई हो, उत्पादक के खाते से वसूल की जाएगी । फूलगोभी स्नोबाल के केस में, प्रसंस्करण के पश्चात एन.एस.सी., उत्पादक को अस्वीकृत बीज, निरस्त बीज, छोटे आकार के बीज इत्यादि वापस नहीं करेगी ।
22. प्रक्षेत्र कार्यालय की सिफारिश पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अग्रिम जारी किया जाएगा जोकि कच्चे बीज की प्राप्ति के विशेष महीने का एपीएमसी - दरों के आधार पर समर्थित होना चाहिए । उत्पादक द्वारा आपूर्ति 95% मात्रा पर अग्रिम एपीएमसी की उच्चतम दरों का औसतन 80% देय होगा । करार में इंगित किसान के खाते में अग्रिम केवल एनइएफटी/आरटीजीएस द्वारा ही भुगतान किया जाएगा और उसके नाम पर उत्पादन क्षेत्र अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए । किसान/उत्पादक को अन्तिम भुगतान एन.एस.सी. के क्षेत्रीय कार्यालय/प्रक्षेत्र कार्यालयद्वारा सीधे ही एनइएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उसके बचत खाते में जारी किया जाएगा, बशर्ते कि उत्पादक द्वारा आईडीपी नोट पर हस्ताक्षर हो जाने पर तथा प्रक्षेत्र कार्यालय द्वारा यह आईडीपी नोट संबंधित कागजातों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करना होगा और क्षेत्रीय कार्यालय उचित समय के अन्दर उत्पादक को भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।
23. उत्पादक द्वारा एन.एस.सी. बीज/बल्ब/ट्यूबर्स उत्पादक कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई फसल और एन.एस.सी. के निरीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त, उत्पादक इस उत्पाद को किसी भी परिस्थितियों पर किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को नहीं देगा । यदि उत्पादक, ऐसे बीजों/बल्ब/ट्यूबर्स को सीधे ही अन्य व्यक्ति या पार्टी को बेचता है तो उस उत्पादक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।
24. एन.एस.सी. के अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अलावा अथवा एन.एस.सी. के द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए ऐसे भूखण्डों/खेतों से प्राप्त आलू के ब्लब्स, ट्यूबर्स, प्याज/लहसुन, बीज बल्ब/ट्यूबर्स की खरीद के लिए एन.एस.सी. बाध्य नहीं है ।
25. एन.एस.सी. किसी भी परिस्थिति में, बिना सूचना दिए इस अनुबंध/समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे मामलों में उत्पादित बीज/बल्ब/कन्द के निपटान के लिए उत्पादक पूरी तरह से उत्तरदायी होगा ।

26. यह करार उत्पादक को उसकी मातृभाषा में पढ़ कर समझा दिया है और उत्पादक द्वारा यह घोषणा की गई है कि उसने इस करार/अनुबंध के तथ्य उसकी समझ में आ गये हैं। अर्थात् उसने यह अनुबंध अच्छी तरह समझ लिया है।
27. यह करार उत्पादक और एन.एस.सी. के बीच आपसी समझौते के अनुसार हस्ताक्षरित और कार्यान्वित किया गया है। यदि इस करार की व्याख्या पर अथवा/और करार के अनुसार किसी तरह के लेन-देन पर वाद-विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्रभारत होगा ।

हस्ताक्षरित, मोहर एवं वितरण

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की ओर से: प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

श्री/श्रीमती.....

हस्ताक्षरित, मोहर एवं वितरण

किसान/उत्पादक की ओर से

श्री/श्रीमती.....

गवाहों की उत्पत्ति में :

1.....

नाम

हस्ताक्षर

.....

पता

2.....

नाम

हस्ताक्षर

.....

पता

नोट : इस अनुबंध/करार की विवेचना पर अथवा/और वाद-विवाद उत्पन्न होने पर इसका अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।